>

Title : Need to recognize Halba/Halbi castes of Maharashtra as Scheduled Tribes.

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान सामान्यतः विदर्भ विशेष और नागपुर विशेष के उन हलवा-हलवी-कोस्टी समुदाय जो करीबन 50 से 80 लाख के नजदीक है, उनकी आजीविका के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। इस समुदाय के लोग मूलतः आदिवासी हैं और 1980 तक इनको आदिवासी करार दिया जाता था और महाराष्ट्र की एससीएसटी लिस्ट में भी इनका नाम था। लेकिन एक जी.आर. निकला और इनका आदिवासी स्टेटस इनसे छीन लिया गया जबकि उनका रोटी-बेटी का और उनके खाने-पीने का व्यवहार, रहन-सहन सभी आदिवासी जीवन जैसा है लेकिन उनको आदिवासी के स्टेटस से वंचित किया गया है । वे आदिवासी थे। लेकिन अब हाल यह है कि उनको ओबीसी तक की भी मान्यता नहीं है। यह उन पर अन्याय है। सबसे बड़ा अन्याय यह है कि जो लोग 25-30 वर्षों से राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग के कर्मचारी हैं, उनको नोटिस दिये जा रहे हैं और उनको नौकरी से टर्मिनेट करने के आदेश दिये जा रहे हैं। उनसे यह कहा जा रहा है कि वे कास्ट का सर्टिफिकेट दें। जब वो नौकरी पर थे तब उन्होंने कास्ट का सर्टिफिकेट दिया था और उनकी नौकरी लगी थी लेकिन आज सख्ती से उन लोगों को कास्ट वेरीफिकेशन करने की कही जा रही है। जबकि इन्हीं आदिवासियों को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह रियायत दी जाती है। उनको आदिवासी माना जाता है।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्राधिकारियों से आप कहें कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में इनको शामिल करने के लिए जो एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार के बीच इधर से उधर हो रहा है और इतना बड़ा अन्याय इन लोगों पर हो रहा है, वह न हो। इसके साथ ही यह भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो उनको आदिवासी नहीं माना जाता लेकिन ग्रामीण पंचायत में, जिला परिषद में और कॉरपोरेशन में जो भी आरक्षित मतदान क्षेत्र हैं, वह इन्हीं जाति के भरोसे पर है, दूसरे कोई आदिवासी वहां नहीं हैं। एक तरफ वहां इनकी ही संख्या के कारण आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ इनको यह रियायत नहीं दी जा रही है। इससे इन लोगों में बड़ा भय व्याप्त है और अपने संघर्ष के लिए वे आंदोलन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार आदिवासियों, जनजातियों और पिछड़े-वर्ग के लिए अनेक निर्णय ले रही है, उन लोगों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं, तो ये लोग जो अभी तक आदिवासी सूची में थे, नये कई लोगों को उस सूची में समाविष्ट किया गया है लेकिन जो लोग लिस्ट में थे, यकायक उनके अधिकार उनसे छीन लिये गये हैं जो मैं समझता हूं कि यह उनके साथ अन्याय है और इसकी तरफ आप सरकार से कहें कि सरकार द्वारा इस तरफ ध्यान दिया जाए।